ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(12): 229-232
www.allresearchjournal.com
Received: 16-10-2019
Accepted: 18-11-2019

DK Pandey
Professor, Department of Defence & Strategic Studies, H.N.B. Garhwal University, Srinagar, Pauri Garhwal, Uttarakhand, India

Sohan Singh
Research Scholar, Dept. of Defence & Strategic Studies H.N.B. Garhwal University, Srinagar, Pauri Garhwal, Uttarakhand, India

Correspondence Author:
DK Pandey
Professor, Department of Defence & Strategic Studies, H.N.B. Garhwal University, Srinagar, Pauri Garhwal, Uttarakhand, India

शान्ति रक्षा अभियानः अवधारणात्मक पहलु

DK Pandey and Sohan Singh

सारांश
शान्ति रक्षा शब्द मूल चार्टर में कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ है, यह संयुक्त राष्ट्र का सृजनात्मक प्रयोग है इसे चार्टर के अध्याय 06 और 07 के मध्य को कहा जा सकता है। शान्ति रक्षा का विचार संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डाग हैमरशोल्ड द्वारा प्रतिपादित निरोधक राजनय के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसका तात्पर्य युद्धों के परिसीमन और स्थानीकरण से है। हैमरशोल्ड का मानना था कि शीत युद्ध के वातावरण में यह आवश्यक था कि संयुक्त राष्ट्र के असंलग्न सदस्यों के माध्यम से युद्धों की प्रारम्भिक अवस्था में रोकथाम की जाये, विशेषकर उनका स्थानीकरण किया जाए, ताकि वे शीतयुद्धीय आयाम न ग्रहण कर सकें। यद्यपि शान्ति रक्षा के तत्व यथा युद्ध विराम, विराम संधि, पर्यवेक्षक आयोग आदि पुराने साधन है, परन्तु शान्ति रक्षा कार्यवाही का विचार नवीन है। इस संदर्भ में शान्ति रक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 1000 दिनांक 05 नवम्बर, 1956 में किया गया, जिसके द्वारा स्वेज संकट के मामले में सर्वप्रथम शान्ति रक्षा सेना का गठन किया गया।

कुटशब्दः सुरक्षा, शांति, संघर्ष, क्षेत्रीय संगठन, कूटनीति, मानव अधिकार, सैन्य अभियान

प्रस्तावना

शान्ति रक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

शान्ति रक्षा अभियान किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए प्रयत्न करते है। इन अभियानों के द्वारा कोई राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठन या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्षरत पक्षों के मध्य विवाद समाप्त करके शान्तिपूर्ण तरीके से हल निकालने का प्रयास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठनों अथवा किसी एक देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले विवादों के समाधान के लिए शान्ति रक्षा अभियान की स्थापना की जाती है। शान्ति रक्षा अभियानों के अन्तर्गत की गई प्रत्येक कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुरूप होती है। इन शान्ति रक्षा अभियानों में सैनिक एवं असैनिक दलों की सहायता से संघर्षरत राष्ट्रों को हिंसा का मार्ग छोड़ कर बातचीत से समस्या के समाधान के लिए मनाया जाता है।

किसी भी संघर्षरत क्षेत्र में शान्ति रक्षा अभियान की स्थापना के लिए संबंधित पक्षों की सहमति एवं सहयोग आवश्यक है। जब सुरक्षा परिषद शान्तिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालने में असफल रहती है। तो वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले मुद्दों के लिए अध्यादेश लाती है। इस अध्यादेश को सुरक्षा परिषद में बहुमत के साथ पारित करना आवश्यक है। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति भी अति आवश्यक हैं। इसके बाद अभियान की प्रकृति के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से सैनिक एवं असैनिकों संगठन को भेजने के लिए अनुरोध करता है। ये सदस्य देश अपनी–अपनी इच्छानुसार सेना भेजते है। अभियान के दौरान शान्ति रक्षकों को निष्पक्ष रह कर अपना कार्य करना होता है।

सिटकोव्स्की का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में शान्ति रक्षा अभियानों के लिए अधिकारिक परिभाषा का अभाव वास्तव में एक गम्भीर समस्या का कारण नहीं है क्योंकि यह संघर्ष की प्रकृति के अनुसार अभियानों को अनुकूलित करने का अवसर प्रदान करती है। सुरक्षा परिषद तत्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी भी अभियानों के लिए आवश्यक कदम उठाती है। इससे अभियान स्थापित होने के बाद अनावश्यक समस्याओं को पहले ही दूर करने का प्रयास किया जाता है। शान्ति रक्षा अभियानों को कई सैन्य विशेषज्ञों, नीति–निर्माताओं, राजनीतिज्ञों, विशलेषकों, विद्ववानों द्वारा समय–समय पर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। विश्व में शान्ति रक्षा अभियानों के संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैः–

1. ऑक्सफोर्ड डिकशनरी के अनुसार–राष्ट्रों एवं समुदायों के एक संघर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य बलों द्वारा सक्रिय रख–रखाव करना है।

2. एन एजेंडा फॉर पीस में बी0 बी0 घाली ने इस संदर्भ में कहा–शान्ति रक्षा अभियान संघर्ष की रोकथाम और शान्ति स्थापित करने वाले साधन के रूप में विकसित हुआ है।
3. ऑर्थर एम0 कॉक्स के अनुसार–यह एक असाधारण सैनिक कार्य है जिसके लिए सैनिकों को लड़ने या युद्ध जितने के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई रोकने, संघर्ष विराम बनाये रखने और शान्ति समझौतों को लागू करने के नियुक्त किया जाता है।
4. लैरी एल0 फैबियन के अनुसार–शान्ति रक्षा अभियान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करता है।
5. एफ0 टी0 लीयू ने शान्ति रक्षा को परिभाषित करते हुए कहा–यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को राकने और उनके शान्तिपूर्ण साधनों से निपटारे को सुविधाजनक बनाने के लिए अनिवार्य रूप से व्यावहारिक तन्त्र का उपयोग करना है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शान्ति रक्षा अभियान संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले संघर्षों को रोकने के लिए प्रयोग करता है। संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठन या कोई देश इस तरह की कार्यवाहियाँ चार्टर के प्रावधानों के अनुरूप करते है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय में तालमेल और सहमति से इन अभियानों
की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों से आवश्यकतानुसार सैनिक, सैन्य पर्यवेक्षक, पुलिस एवं नागरिक अधिकारियों की माँग करते है। जिसके बदले में इन शान्ति रक्षकों को वेतन प्रदान किया जाता है।

शान्ति रक्षा के प्रकार

विश्व में झगड़ों को शान्तिपूर्ण निपटारा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अनेक के प्रावधान किये गये है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों की प्रकृति में लगातार परिवर्तन हुए है। इस दौर के संघर्ष इतने जटिल हो गये है कि कई दशकों के बाद भी इनका कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पाये है। इसलिए इन संघर्षों के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई तरह के कदम उठाये गये है जिनमें से शान्ति रक्षा अभियान भी एक कारगर उपाय है। सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले स्थानों पर इन अभियानों को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली देश और क्षेत्रीय समूह भी शान्ति बनाये रखने के लिए चार्टर के प्रावधानों के अधीन इनकी स्थापना करते है। शान्ति रक्षा अभियानों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित हैं–

1. पारम्परिक शान्ति रक्षा

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए चार्टर में प्रावधान किये गये थे। लेकिन शुरूआती दौर में कई बार ऐसा देखने को मिला है जब सुरक्षा परिषद सदस्य राष्ट्रों की सहमति के अभाव में कोई कारगर कदम नहीं उठा सकी। जिससे उस समस्या का बढ़ना स्वाभाविक था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्षरत क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनाये रखने के लिए शान्ति रक्षा अभियानों को स्थापित किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शीत युद्ध के दौरान स्थापित अभियानों को पारम्परिक शान्ति रक्षा की श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ों में दो या दो से अधिक देशों की सेनाएँ आमने–सामने आकर आपस में लड़ाई लड़ती थी। ये लड़ाइयाँ पारम्परिक तौर–तरीकों से लड़ी जाती थी। इसलिए इस काल खंड में पारम्परिक शान्ति रक्षा अभियानों की स्थापना की जाती थी। इन अभियानों में शान्ति रक्षकों द्वारा संघर्ष के क्षेत्रों में जाकर संघर्ष–विराम करवाना, उनका अवलोकन और सत्यापन करना, सेनाओं की वापसी को सुनिश्चित करना, बफर जोन स्थापित करना, शान्ति समझौतों की निगरानी करना आदि कार्य किये जाते थे। शान्ति रक्षकों द्वारा यह कार्य निष्पक्ष रहकर किये जाते थे। संघर्ष वाले क्षेत्रों में दोनों पक्षों को लड़ाई से दूर रखने के लिए शान्ति रक्षकों की प्रभावी भूमिका रही है। प्रारम्भिक दशकों में ऐसे कई अवसर आये जब संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के कारण किसी विवाद को बढ़ाने से रोक लिया गया। इस तरह के अभियानों की स्थापना फिलीस्तीन, कश्मीर, स्वेज विवाद, गोलन क्षेत्र, लेबनान आदि में देखने को मिलते है।

2. बहु–आयामी अभियान

विश्व में पिछले कुछ दशकों में संघर्ष की प्रकृति बदलती रही है। इन बदली हुई परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र को भी अपने शान्ति रक्षा अभियानों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना पड़ा है। शान्ति रक्षा के शुरूआती दौर में संघर्ष को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेना भेजी जाती थी। ये सेना लड़ाई को रोककर समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को सहमत करती थी। लेकिन इसके बाद स्थापित किये गये अभियानों में शान्ति रक्षकों के कई तरह के कार्य करने पड़े। इन अभियानों में सेना के साथ–साथ पुलिस एवं सामान्य नागरिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगातार लड़ाई और युद्धों के कारण विश्व के अनेक क्षेत्रों में अव्यवस्था फैली हुई थी। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहु–आयामी शान्ति रक्षा अभियानों की स्थापना की गई। इन अभियानों के द्वारा संघर्षरत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव करवाने, संस्थागत विकास, पुलिस एवं सुरक्षा सेनाओं का पुनर्गठन, न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, विश्वास बहाली के उपाय करना आदि कार्य किये गये। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द अशान्त इलाकों में जन–जीवन सामान्य प्रक्रिया में लौट सके। इस तरह के अभियान नामबिया, अंगोला, सोमालिया, सियरा लियोन, माली, हैती, कांगो आदि देशों में स्थापित किये गये।

3. शान्ति प्रवर्तन अभियान

शान्ति प्रवर्तन अभियानों की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय सात के अन्तर्गत की जाती है। जब किसी समस्या या विवाद के समाधान के लिए चार्टर के अध्याय छह में दिये गये शान्तिपूर्ण उपाय कारगार सिद्ध नहीं होते है। तब संयुक्त राष्ट्र को मजबूरीवश अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते है। सुरक्षा परिषद संघर्षरत क्षेत्रों में आक्रमक राष्ट्र के विरूद्ध अध्यादेश लाकर सैनिकों की तैनाती करती है। इस तरह के अभियान स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद को किसी राष्ट्र से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इन अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र भारी सैन्य बल की तैनाती करती है और आक्रांता देश के विरूद्ध सैनिक कारवाही करके शान्ति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ शान्ति समझौतों को लागू करने के लिए भी इस तरह की कारवाई की जाती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभी तक शान्ति प्रवर्तन अभियानों की स्थापना कोरिया और कुवैत में की गई है। सन् 1950 में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से और 1991 में कुवैत को इराकी जुल्मों से स्वतंत्र करवाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तरह के कदम अन्तिम कार्यवाही के रूप में उठाये जाते है।

4. अवलोकन अभियान

संयुक्त राष्ट्र द्वारा संघर्षरत क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने और स्थिति पर नजर बनाये रखने के लिए अवलोकन अभियानों की स्थापना की जाती है। इन अवलोकन अभियानों में सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों की नियुक्त की जाती है। इस तरह के अभियानों के तहत सेनाओं की वापसी सुनिश्चित करना, संघर्ष–विराम समझौतों की निगरानी करना और संबंधित पक्षों के मध्य विश्वास बहाली के उपाय करना आदि शामिल है। इन अभियानों में शान्ति रक्षकों के पास सैन्य हथियारों का अभाव होता है। ये शान्ति रक्षक संघर्षरत क्षेत्रों में होने वाली प्रत्येक गतिविधि की जानकारी संयुक्त राष्ट्र को प्रदान करते है। जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघर्ष को भड़काने वाले पक्ष को किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत के प्रति आगाह करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तरह के अभियान अंगोला और पश्चिमी सहारा क्षेत्र में स्थापित किये गये है।

शान्ति रक्षा के सिद्धान्त

विश्वभर में संघर्षों में निरन्तर बदलाव हो रहा है। जब कभी किसी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले मुद्दे को लेकर देशों के मध्य आपसी संघर्ष हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने इन संघर्षों को राकने के लिए अपने स्तर पर हमेशा प्रयास किये है। शीत युद्ध की समाप्ति से पहले के अभियानों की कार्य विधि बिलकुल अलग तरह की थी। इन अभियानों की अधिकत्तर स्थापना दो या दो से अधिक देशों के मध्य संघर्ष को रोकने के लिए की जाती थी। इस समय इन अभियानों में शान्ति रक्षा सेना का मुख्य कार्य संघर्ष विराम करवाना, उनकी निगरानी करना, बफर जोन बनाना, शान्ति समझौतों को शान्तिपूर्ण तरीके से लागू करना आदि प्रमुख थे। इसके अलावा इस दौरान कुछ अन्तः राज्यीय संघर्ष भी देखने को मिले। जिसमें एक देश में स्वतंत्रता के लिए आवाजें उठी जिनमें से कुछ देशों में संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शन में समस्या का समाधान कर लिया गया। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शान्ति रक्षा अभियानों की कार्य–प्रणाली बहुआयामी हो गई है। शान्ति रक्षा अभियानों जिन सिद्धान्तों पर अपनी अपने कार्य करते है। उनमें से प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैः–

1. संबंधित पक्षों की सहमति

संयुक्त राष्ट्र द्वारा शान्ति रक्षा अभियानों की स्थापना संघर्ष से संबंधित पक्षों की सहमति के बाद की जाती है। इस सहमति के द्वारा संबंधित पक्ष सुरक्षा परिषद को अपने देश में शान्ति रक्षा अभियान स्थापित करने के लिए अध्यादेश लाने और संघर्षरत क्षेत्रों में सैनिक भेजने की अनुमति प्रदान करते है। इसके अलावा इनके द्वारा शान्ति रक्षकों को अध्यादेश के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक और राजनीतिक कार्य करने की स्वतंत्रता देते है। इस तरह की सहमति के अभाव में संयुक्त राष्ट्र शान्ति रक्षा अभियान का संघर्ष के लिए एक पक्ष बनने का खतरा रहता है। जिसके बाद सैन्य शाक्ति का प्रयोग करना पड़ सकता है। जो कि इनकी भूमिका के अनुरूप नहीं है। अपने अध्यादेश के कार्यान्वन के समय शान्ति रक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कार्यवाहियाँ संघर्ष के किसी भी पक्ष के नजदीक नहीं है। वह निष्पक्ष रह कर अपना कार्य कर रहे है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सभी शान्ति रक्षक अभियान के संबंधित क्षेत्र के इतिहास और प्रचलित रीति–रिवाज एवं संस्कृति के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करें।

2. निष्पक्षता

संयुक्त राष्ट्र शान्ति रक्षा अभियानों में भेजे जाने वाले शान्ति रक्षकों को अध्यादेश को लागू करते समय निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्हें समस्या के स्थायी और शीघ्र समाधान के लिए किसी भी पक्ष का पक्षपातपूर्ण सहयोग नहीं करना चाहिए जिससे कोई दूसरा पक्ष संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली पर सवाल न उठा सके। शान्ति रक्षकों को संघर्ष से संबंधित मुख्य पक्षों से सहमति एवं सहयोग बनाए रखने के लिए निष्पक्ष कार्य करना आवश्यक है। लेकिन इससे अध्यादेश के संबंध में तटस्थता या निष्क्रियता के लिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। शान्ति रक्षकों को संघर्ष के समय अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। इन अभियानों के सभी सदस्यों को संघर्ष की मुख्य पार्टी या पक्षों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इनको अभियान के दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरा पक्ष उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे।

3. केवल आत्म–रक्षा के लिए बल का प्रयोग

शान्ति रक्षा अभियानों में बल का प्रयोग करने से पहले खतरे की प्रकृति, अध्यादेश के उद्देश्य, अभियान की क्षमता, मानवाधिकारों का उल्लंघन, अध्यादेश के संबंध में स्थानीय एवं राष्ट्रीय सहमति पर प्रभाव आदि को ध्यान में रखा जाता है। शान्ति रक्षकों द्वारा संघर्ष को रोक कर संबंधित पक्षों के मध्य संघर्ष–विराम एवं शान्ति समझौतों को लागू करते समय भी बल का न्यूनत्म प्रयोग करना पड़ता है। इसके अलावा आक्रांता राष्ट्र जब किसी अन्य देश पर हमला करता है तो उसके विरूद्ध सुरक्षा परिषद अध्यादेश में ही बल के प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करती है। सुरक्षा परिषद को यह सब कार्य मजबूरीवश करने पड़ते है। जहाँ तक हो सके शान्ति रक्षा अभियानों को झगड़ों का निपटरा शान्तिपूर्ण तरीके से ही निकालना होता है और बल का प्रयोग आत्म–रक्षा के अन्तिम साधन के रूप में किया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में शान्ति रक्षा अभियानों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों में व्यापक तौर पर परिवर्तन हुआ है। जिनमें इन संघर्षें के समाधान में शान्ति रक्षा अभियानों ने एक साधन के रूप में कार्य किया है। विगत सात दशकों में ऐसे बहुत सारे अवसर आये है जब इन अभियानों के निर्णायक कदम से संघर्ष को बड़े युद्ध में परिवर्तित होने से रोकने में सफलता मिली है। शान्ति रक्षा अभियानों का स्वरूप पारम्परिक रूप से बदलकर बहुआयामी हो गया है। जहाँ पारम्परिक अभियानों में संघर्ष विराम करना, बफर जोन बनाना, अवलोकन करना, कानूनी समाधान निकालना, शान्ति समझौते लागू कराना आदि कार्य किये जाते थे। वहीं बहुआयामी अभियानों में देश शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाना, आर्थिक विकास करना, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, न्यायिक सुधार, सशस्त्र बलों एवं पुलिस को प्रशिक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा, चुनाव करवाना, सामाजिक सम रसता बनाना आदि कार्य किये जाते है।

Refrences

1. Weiss Thomas G *et al*. The United Nations and Changing World Politics, 2nd ed. Colorado (USA): West view Press, 1977, 54.
2. Srivastava HK. (Autumn). India's Participation in UN Peace-Keeping Operations: A Need for Holistic Approach and Transparency in Policy. Trishul. 1994; VII(1):41.
3. Singh Jasjit. United Nations Peace-Keeping Operation: The Challenge of Change. Strategic Analysis. 1996; XIX(4):539-555.

4. Mehrish BN. International Organizations: Structures and Processes. Delhi: Vishal Publishers, 1976, 180.
5. Banerjee, Dipanker. An Indian Approach to UN Peace-Keeping Operations, Strategic Analysis. 1995; XVIII(1):11.
6. Singh Sukhbir. Structure and Functions of the United Nations Organization. New Delhi: Kanishka Publishers Distributors, 1995, 134.
7. Parsad BA. Peace Soldiering: Emerging Contours. Strategic Analysis. 1994; XVII(6):761.
8. Demurenko Andrei, Nikitin Alexander. Basic Terminology and Concepts in International Peacekeeping Operations: An Analytical Review, Low Intensity Conflict & Law Enforcement, Summer, Frank Cass, London, 1997, 6.
9. https://www.britannica.com/topic/United-Nations/Arms-control-and-disarmament
10. https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Peacekeeping%20operations%20in%20a%20changing%20world.pdf
11. peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping
13. https://peaceoperationsreview.org/wp-content/uploads/2015/04/2009_purposes_peace_durchengland.pdf
14. https://unu.edu/publications/articles/peace-support-a-new-concept-for-un-peacekeeping.html
15. http://www.unis.unvienna.org/unis/en/60yearsPK/index.html
16. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/peacekeeping